

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, किशनगंज के पत्राक(कॉलम 4 में वर्णित)(जिला पदाधिकारी, किशनगंज का स्वीकृत्यादेश संलग्न)09 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 270000/- (दो लाख सतर हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों/लाभुकों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/लाभुक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निर्मांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/ पति का नाम	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्राक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का खीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० नंद लाल यादव, 31, स्व० सेरूलाल यादव, सामान्य	श्रीमती अमान्ती देवी (पत्नी)	170/09.8. 19	ग्रा०-अन्धवा कॉल, पं०+पो०-गाछपाड़ा, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	4577108 001758	केनरा बैंक, CNRB0004577	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन का कार्य
2	स्व० रोजन शर्मा, 56, स्व० ज्वाला प्रसाद शर्मा, सामान्य	श्रीमती खोखी देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-लखीमारों, पं०-महिनगाँव, पो०-चकलाघाट, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	3976582 634	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किशनगंज, CBIN0280067	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, काठ मिस्री
3	स्व० झपसु लाल सिंह, 45, श्री दया लाल सिंह, सामान्य	श्रीमती शिवो देवी (पत्नी)	203/29.8. 19	ग्रा०-महेशवथना, पो०-गाछपाड़ा, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	5018363 9749	इलाहाबाद बैंक, किशनगंज ALLA0210788	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
4	स्व० चमनलाल सिंह, 41, श्री अकिनलाल सिंह, सामान्य	श्रीमती शकुन्तला देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-महेशवथना, पो०-गाछपाड़ा, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	2167025 4751	इलाहाबाद बैंक, किशनगंज ALLA0210788	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राज मिस्री
5	स्व० हफोजुद्दीन, 62, श्री एनुल हक, सामान्य	श्रीमती अजमेतून निशा (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-चिकाटोली, पो०-हटवार, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	3705190 5235	भारतीय स्टेट बैंक, पश्चिमपाली, SBIN0006426	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
6	स्व० रमेश दास, 56, स्व० मोजी लाल दास, सामान्य	श्रीमती शान्ति देवी (पत्नी)	225/16.9. 2019	ग्रा०-हुमरिया, दुर्गा मंदिर, नगर, पं०-वार्ड नं० 30, पो०+था०+प्र०+ जि०-किशनगंज	3334010 0007475	बैंक ऑफ बड़ौदा, BARBOKISBIH	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रिक्सा चालक
7	स्व० सोमान किस्कु, 50, स्व० बुधरा किस्कु, अनु० ज० जाति	श्रीमती बाला सोरेन (पत्नी)	235/24.9. 19	ग्रा०-फुटानवस्ती वेलवा, पं०-महिनगाँव, पो०-चकलाघाट, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	5033940 3888	इलाहाबाद बैंक, कोल्हा, ALLA0213374	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मिट्टी कटाई का मजदूर
8	स्व० छतीस राय, 58, स्व० असारू राय, सामान्य	श्रीमती सिन्तमनी देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-मड़वा टोली, पं०-महिनगाँव, पो०-चकलाघाट, था०+प्र०+जि०-किशनगंज	4030933 918	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0280067	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ढलाई लेवर
9	स्व० मजेबुल अंसारी, 51, मो० नजोमउद्दीन, सामान्य	श्रीमती जुमेरा खातुन (पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पं+पो०-भगाल, था०+प्र०-कोचाधामन, किशनगंज	2369810 0040978	बैंक ऑफ बड़ौदा, BARBOALTAKA	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर्माण श्रमिक

कुल :- ₹ 270000/-

(दो लाख सतर हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-29/2019 के पृष्ठ-14/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-26/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-26/2019-491

पटना, दिनांक :- 28-11-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 270000/- (दो लाख सतर हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।